



Polity - XV & Doubt Clearing Session

Complete Course on Polity for SSC, PCS & Railways

Charter Acts





चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853

ध्यातव्य है की ईस्ट इंडिया कम्पनी का आरम्भ 1600 ई. में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा कंपनी को व्यापार करने देने के लिए हुआ था. इस कंपनी के समय व अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए चार चार्टर क्रमशः **1793, 1813, 1833 और 1853 ई.** में पास किये गये।

कम्पनी का पहला चार्टर **1794 ई.** में समाप्त होने वाला था, इससे पहले ही **वर्ष 1793** में कम्पनी की गतिविधियों की जाँच-पड़ताल तथा विचार-विमर्श करने के बाद एक नया चार्टर पास कर दिया गया, जिसके अंतर्गत कम्पनी को व्यापार और वाणिज्य के अधिकारों के साथ-साथ भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर प्रशासन करने का अधिकार भी दे दिया गया और इसकी कार्य अवधि को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

इसके बाद 1853 ई. तक प्रत्येक बीस वर्षों के बाद एक नया चार्टर पास करने की प्रथा सी बना दी गई, लेकिन 1853 ई. का चार्टर अंतिम चार्टर था क्योंकि इस चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी की अवधि को नहीं बढ़ाया गया था. बाद में, 1857 की क्रांति ने चार्टर एक्ट को समाप्त कर दिया, और ईस्ट इंडिया कम्पनी के सभी अधिकार, और भारत में प्रशासित क्षेत्रों को महारानी विक्टोरिया ने सीधे अपने कब्जे में ले लिया।

भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला **गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स** था.

1793



1793 चार्टर एक्ट (अधिनियम)

1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी को अगले 20 वर्षों (मतलब 1793) तक विदेशों में व्यापार करने की मिली हुई अनुमति खत्म होने वाली थी अतः कंपनी के अधिकारों को अगले 20 वर्षों तक बढ़ाने के लिए 1793 में ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर एक्ट 1793 पारित किया गया और इसके बाद 1853 तक प्रत्येक 20 वर्षों में चार्टर एक्ट की अवधि बढ़ा दी जाती थी।

1793 चार्टर एक्ट में बहुत ज्यादा विशेष प्रावधान नहीं किये गए थे क्योंकि यह सिर्फ कंपनी की अवधि को बढ़ाने के लिए पारित किया गया था. इसमें किये गए दो महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं-

1. कंपनी के अधीन सभी प्रांतों का शासन उस प्रान्त के गवर्नर और उसकी परिषद् के अधीन कर दिया गया.
2. कंपनी के सभी बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजकोष से देना तय हुआ जो की अब तक ब्रिटिश राजकोष से दिया जाता था. इसके पीछे कारण यह माना गया की ब्रिटिश राजकोष से वेतन आने में देरी होती थी जिससे की सभी बोर्ड के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे थे.

1813



1813 चार्टर एक्ट (अधिनियम)

1793 के चार्टर एक्ट के 20 वर्ष बाद यानि की 1813 में पुनः कंपनी के व्यापार और शासन के नवीनीकरण के लिए चार्टर एक्ट 1813 पारित किया गया. इस एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को कुछ हद तक खत्म किया गया था. इस एक्ट में निम्नलिखित 4 प्रमुख प्रावधान किये गये.

1. ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों को अनुमति प्रदान की गयी। इसी अनुमति के अनुसार वर्तमान में भी भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 25** में धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है।
2. ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त (चाय के व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर) कर दिया गया।
3. भारतीय व्यक्तियों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष मात्र 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया।

1833




1833 का चार्टर अधिनियम

1833 चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम था, इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार हैं

1. इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं. इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था. **लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे.**
2. इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया था. भारत के गवर्नर जनरल (लॉर्ड विलियम बेंटिक) को ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट अधिनियम कहा गया.
3. ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया. इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र या तो ब्रिटिश राजशाही या उसके उत्तराधिकारियों के कब्जे में रह गए.
4. ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदलकर "कंपनी ऑफ़ मर्चेंट ऑफ़ इंडिया" कर दिया गया।
5. इस एक्ट के अंतर्गत लार्ड मैकाले विधि आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य भारतीय कानून का निर्माण और उसका वर्गीकरण करना था.
6. इस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी भी प्रकार के रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा हालांकि डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया.

1853



1853 के अधिनियम की विशेषताएं

1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए 4 चार्टर अधिनियमों में यह अधिनियम संवैधानिक विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अधिनियम था इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार हैं -

1. पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया.
2. गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया . गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई, और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना तय किया गया था.
3. इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद का गठन किया इसे भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया. इस विधान परिषद ने छोटी संसद की तरह कार्य किया तथा ब्रिटिश संसद द्वारा बनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का ही प्रयोग किया. इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया.
4. कम्पनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन का सफलता का प्रावधान किया गया, और सन 1856 में प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सिविल सेवा में चयनित होने का गौरव प्राप्त किया.
5. सेवाओं में नामजदी के सिद्धांत को खत्म किया गया
6. पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था इसलिए पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया.